न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 40 / 2018 (उदयपुर आर्डर)

1. डालू पिता मगनलाल जी ब्राहमण (जोशी), निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. प्यारचन्द पिता मगनलाल जी ब्राहमण (जोशी), निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. ग्राम पंचायत सिंगाड़ा, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सिंगाड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. मदनलाल पिता फतहलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी सादड़ी, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
4. योगेश पिता फतहलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी सादड़ी, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
5. नारायण पिता भंवरलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती गीता पत्नी हंसराज जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
7. अम्बालाल पिता रूपलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
8. मोहनलाल पिता उदयलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
9. विशाल पिता योगेश कुमार नाबालिग बविलायत पिता श्री योगेश कुमार जी जोशी ब्राहमण, निवासी सादड़ी, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
10. नरेन्द्र पिता बाबूलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

11. लक्ष्मीलाल पिता कन्हैयालाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

12. गेहरीलाल पिता कन्हैयालाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

13. नारायण पिता पन्नालाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

14. शंकरलाल पिता शिवराम जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

15. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी मीठालाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

16. मुकेश पिता कांतिलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

17. मोहनलाल पिता वरदा जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, हाल निवासी दुकान नंबर 321, तीसरा माला, मनीष मार्केट, रिंग रोड़, सूरत (गुजरात)

18. श्रीमती संतोकी देवी पत्नी जगदीशलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

19. श्रीमती गंगा देवी पत्नी शान्तिलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, हाल मुकाम स्वशांति रिसोर्ट सापुतरा, आहुंआ, जिला डांग (गुजरात)

20. श्रीमती गुलाबी पत्नी अम्बालाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

21. जयन्तीलाल पिता वनालाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

22. महावीरसिंह पिता रतनसिंह जी, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

23. श्रीमती हेमलता पत्नी दिनेश जी जोशी ब्राहमण, निवासी सादड़ी, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

24. राकेश पिता मोहनलाल जी नाबालिग जरिये संरक्षक पिता मोहनलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

25. श्रीमती केशी बाई पत्नी भंवरलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

26. रमेश पिता नारायणलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

27. जयशंकर पिता हंसराज जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

28. भावेश पिता गेहरीलाल जी नाबालिग जरिये संरक्षक पिता गेहरीलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

29. पुखराज पिता स्वरूप जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

30. भवानीशंकर पिता घीसूलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

31. जगदीशचन्द्र पिता नाथूलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

32. शंकरलाल पिता धुला जी प्रजापत जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

33. राजू पिता मांगीलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

34. दिलीप कुमार पिता तुलसीराम जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

35. नरेश कुमार पिता कालूलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

36. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी कांतिलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

37. श्रीमती सलु देवी पत्नी शंकरलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

38. विमल कुमार पिता हिम्मतलाल जी जोशी ब्राहमण, निवासी बटेरी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व
अधिनियम – 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड
अधिकारी, गोगुन्दा दिनांक 03–05–2018
प्रकरण क्रमांक राजस्व/2018/652

———/———

उपस्थित :– 1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री गिरजाशंकर मेहता अभि.रे.सं. 13, 29 व 34
3– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण
4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रे.सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 08–10–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 652 दिनांक 03–05–2018 से तहसील गोगुन्दा के ग्राम बटेरी की आराजी नंबर 2243 रकबा 0.9900 हैक्टर में से 0.8700 हैक्टर किस्म मगरी को ग्राम पंचायत सिंघाडा को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने का आदेश दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 03–05–2018 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/आवेदक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–07–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आदेश दिनांक 03–05–2018 की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं थी, न ही अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार था। दिनांक 21–05–2018 को रात्रि में रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर अपीलान्ट ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आयी एवं रेस्पोन्डेन्टगण को रोका तत्पश्चात अपीलान्ट ने पटवारी से पता किया तब उक्त आदेश की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन का कतिपय रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा, जिनके अधिवक्ता श्री संजय बोहरा है, जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 03–05–2018 से पूर्व

ही थी तथा वे पटवारी हल्का से मिले। देरी का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। अतएवं आवेदन खारिज किया जावे।

इसी प्रकार कतिपय रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर सहमति भी व्यक्त की गयी।

→ उक्त आवेदन पर उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। चूंकि अपीलान्ट/आवेदन अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा अत्यल्प विलम्ब तथा गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुए मयाद कण्डोन की जाती है।

अपीलान्ट/आवेदक द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 2243 में से 0.8000 हैक्टर भूमि पर उसका सन् 1990 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ने काफी खर्चा कर भूमि को आबादान किया है। अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकारी है तथा विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम नियमन योग्य है, लेकिन अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये व बिना सुने भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर दिया गया है, जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं। अतएवं उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ अधिनस्थ न्यायालय के विवादित भूमि के आवंटन आदेश की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अपीलान्ट के उक्त दफा 96 जा.दी. के आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता श्री संजय बोहरा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने की अनुशंषा नहीं की गयी है, बल्कि नियमानुसार आरक्षित किये जाने के आदेश दिये गये हैं, दिनांक 03–05–2018 को अनुशंषा करने की बात गलत है। अपीलान्ट का विवादित भूमि की इन्च मात्र भूमि पर भी कब्जा नहीं है तथा उसके द्वारा एक भी दिन काश्त नहीं की गयी है। अपीलान्ट ने सन् 2014 में इस भूमि पर पहली बार कब्जा करने की कोशिश की जिस पर उसके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की जाकर उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया। कथित भूमि पथरीली व मगरीली है तथा इस पर कभी भी काश्त नहीं हुई है। अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं हैं तथा प्रार्थी संख्या 1 की मुम्बई में दूध की डेयरी है

तथा प्रार्थी संख्या 2 का सायरा में हार्डवेयर का शोरूम है। दोनों पैसे वाले व्यक्ति हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने का आदेश दिया गया है। अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 29 व 34 की ओर से दफा 96 जा. दी. के आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है एवं गलत रिपोर्ट के आधार पर आबादी परिवर्तन विस्तार हेतु आरक्षित करने की अनुशंषा की गयी है, जो न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टगण का कदीम से कब्जा चला आ रहा है तथा उनके द्वारा काफी खर्चा कर भूमि को आबाद किया गया है। भूमि संपरिवर्तन करने से पूर्व अपीलान्टगण को नोटिस दिया जाना आवश्यक था। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों एवं भू–माफियों की मिलीभगत से उक्त संपरिवर्तन आदेश करवा लिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

प्रकरण में इन्हीं रेस्पोन्डेन्ट द्वारा केशूलाल, गेहरीलाल, हिम्मत, रमेश कुमार, भागीरथ, भूरीलाल, देवीलाल, रमेश कुमार, सोहनलाल, रूपलाल, विजय कुमार, अर्जुनलाल, दुर्गाशंकर एवं जगदीश के शपथ पत्र एक ही आशय के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आवंटन कुछ भू–माफियाओं द्वारा राजस्व अधिकारियों व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने निजी स्वार्थ के कारण अपीलान्ट की भूमि हड़पने की नियम से करवाया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 व कुछ अन्य रेस्पोन्डेन्ट गांव बटेरी के निवासी नहीं हैं तथा वे स्वयं तथा उनके परिजन अन्य व्यवसाय में अन्यत्र कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त सभी शपथ पत्र एक ही प्रकार के मूलतः इस आधार पर पेश किये गये हैं कि कतिपय रेस्पोन्डेन्टगण गांव बटेरी के निवासी नहीं हैं अथवा अन्य विभागों में कार्यरत हैं अथवा उनके कार्यालय तथा आवास अन्यत्र उपलब्ध हैं।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की तथा निवेदन किया कि नायब तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत तथा भू–माफियाओं ने मिलकर आवासीय रूपान्तरण करवाया है तथा लाभार्थी सूची के क्रम संख्या 3, 4, 9, 22, 23 व 28 बटेरी गांव में निवास नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें फर्जी तरीके से लाभार्थी बताया गया है।

अपीलान्ट के उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि रिबिटल में डालचन्द को दिनांक 22–11–2014 को प्रकरण संख्या 434/14 से आराजी नंबर 2243 रकबा 0.8000 हैक्टर भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिनांक 28–1–2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गयी है।

→ प्रकरण में हम न्यायहित में उक्त आवेदन को स्वीकार कर मतदाता सूची व रिबिटल में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा प्रकरण संख्या 434/14 में पारित बेदखली के आदेश को प्रसांगिक होने के कारण रेकार्ड पर रखा जाना उचित समझते हैं।

प्रकरण में उक्त अपील को हमारे द्वारा अन्दर मयाद माने जाने के बाद हमारे सक्षम दफा 96 जा.दी. का आवेदन लम्बित रहता है। हम दफा 96 जा.दी. के आवेदन के साथ गुणावगुण पर भी प्रकरण को देखना उचित समझते हैं। प्रकरण में नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 29 व 34 की ओर से वकील श्री गिरजा शंकर मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया है कि अपीलान्ट का विवादित आराजी नंबर 2243 रकबा 0.9900 हैक्टर में से 0.8000 हैक्टर पर सन् 1990 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार होकर गरीब व्यक्ति है। राजस्व कर्मियों द्वारा नायब तहसीलदार व ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर उक्त भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किया गया है तथा कतिपय लाभार्थी ग्राम बटेरी के निवासी नहीं हैं एवं नाबालिग हैं तथा इनके अन्यत्र मकान होकर वे समृद्ध हैं। अपीलान्ट द्वारा यह भी निवेदन किया गया

कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कब्जा करने की नियत से मौके पर पत्थर इत्यादि डाले गये हैं, जिसके लिए अपीलान्ट ने थाने में भी सूचना दी तथा वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि से 1½ किमी दूर है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी विस्तार हेतु कोई मांग नहीं की गयी है तथा पटवारी द्वारा भू–माफियों से मिलीभगत करके जांच रिपोर्ट तैयार की गयी है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर सन् 1990 से पूर्व का कब्जा है। अतएवं आवंटन निरस्त किया जावे।

→ हमारे द्वारा प्रकरण में दफा 96 जा.दी. के आवेदन के साथ गुणावगुण पर भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट की हितबद्धता का एक मात्र आधार उसका सन् 1990 के पूर्व का कब्जा होना बताया गया है। अपीलान्ट/आवेदक का सन् 1990 से लगातार कब्जा हो, इस बाबत् उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि उसका कब्जा माना भी जाये तो वह बतौर अतिक्रमी है तथा यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रकरण संख्या 434/2014 में तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–11–2014 को उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, जिसे बेदखल किया जा चुका है। अब प्रश्न यह आता है कि यदि उसे किसी भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज माना भी जावे तो क्या उसे उसे दफा 96 जा.दी. के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं। वकील रेस्पोन्डेन्ट श्री संजय बोहरा द्वारा इस बाबत् निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की :–

1. आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 449
2. आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 1181
3. आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 364
4. आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 145
5. आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 474
6. आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 1063
7. आर.आर.टी. 2008 (2) पेज 1011
8. आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 663
9. आर.बी.जे. (9) 2016 पेज 163

उक्त न्यायिक नजीरों में यह व्यक्त किया गया है कि अतिक्रमी के रूप में राजकीय भूमि पर कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है तो उसे आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता। विशेष रूप से तब जबकि भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गयी हो। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किये जाने हेतु जिला कलक्टर की शक्तियों का प्रत्योजन उपखण्ड अधिकारी को अधिसूचना द्वारा किया गया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के लिए सक्षम उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो आवंटन किया गया है, उससे अपीलान्ट अपने आपको अतिक्रमी के रूप में व्यथित एवं हितबद्ध होना बताता है, जिसके लिए उसे बेदखल किये जाने का आदेश भी पत्रावली के रेकार्ड पर है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को आवश्यक, व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं होने के कारण उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना विधिक नहीं होगा, तद्नुसार उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती।

प्रकरण में हालांकि अपीलान्ट/आवेदक को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी है, फिर भी हम गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलान्ट के उक्त आवंटन/आरक्षण आदेश के विरूद्ध आपत्ति यह ली गयी है कि कतिपय लाभार्थी ग्राम बटेरी में निवास नहीं करते हैं तथा कतिपय नाबालिग हैं तथा उनके अन्यत्र मकान होकर वे धनी व्यक्ति हैं।

→ प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली जिससे उक्त आवंटन आदेश जारी किया गया है, उसमें पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है तथा पंचायत द्वारा कतिपय व्यक्तियों की सूची भी प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट की यह आपत्ति है कि उसमें से कतिपय लाभार्थी नहीं होकर लाभ लेने की पात्रता नहीं रखते हैं, तो इसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, क्योंकि निजी भूमि का आवंटन किया जाना भी प्रकट नहीं है। प्रस्ताव में सिर्फ किन्हीं लाभार्थियों के नाम लिखे गये हैं तो इस आधार पर हम आबादी भूमि आरक्षित आदेश को त्रृटि पूर्ण नहीं मान सकते, क्योंकि यह केवल आबादी श्रवणाधिकारिता रखता है। प्रथमतः तो अपात्रता अथवा अक्षम व्यक्यिों को आबादी भूमि का आवंटन किया गया है, ऐसी कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है तथा आबादी भूमि के आरक्षित आदेश में

अपात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन नहीं माना जा सकता, बल्कि आवंटन आबादी हेतु किया गया है तथा पंचायत द्वारा भी आबादी भूमि का नियमानुसार शुल्क/सशुल्क/नीलामी से अथवा अन्यत्र पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान अनुसार आवंटन किया जायेगा।

हमारे सक्षम आबादी आरक्षित भूमि के संबंध में अपीलान्ट द्वारा यह आपत्ति उठायी जा रही है कि अपात्र व्यक्तियों के नाम लाभार्थी के रूप में लिखे गये हैं तो यह इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि आबादी भूमि आरक्षित के बाद यदि अपात्र व्यक्तियों को पंचायत द्वारा आवंटन किया गया जाता है तो इसकी अपील सक्षम प्राधिकारी के यहां ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायाल से आबादी विस्तार हेतु आरक्षित भूमि के आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार नहीं होने से एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03–05–2018 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर